

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

No. F.3(25)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/251/128

Dated: 03/02/25

ORDER

Subject: Constitution of Standing Committee for Consumer Welfare Fund under sub-rule (4) of rule 97 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017-reg.

In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 97 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby constitutes Standing Committee for Consumer Welfare Fund of following officers to make the recommendations for proper utilization of the money credited to the State Consumer Welfare Fund for welfare of the consumers:-

- (i) The ACS/Pr. Secretary/Secretary, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi;
- (ii) The ACS/Pr. Secretary/Secretary cum Commissioner, Department of Food Supplies and Consumer Affairs, Government of NCT of Delhi;
- (iii) Commissioner, State Tax, Govt. of NCT of Delhi;
- (iv) Special/Additional Commissioner(Policy), Department of Trade and Taxes, GNCTD;
- (v) Deputy Controller of Account, Department of Trade and Taxes, GNCTD, Member Secretary;

The Chairman and Vice-Chairman of the said Committee shall be out of any of the officers mentioned in the serial number (i), (ii) and (iii) above as per their respective seniority.


(Ravinder Kumar)
Joint Secretary (Fin.)

To,

- (i) Additional Chief Secretary, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi;
- (ii) The Secretary cum Commissioner, Department of Food Supplies and Consumer Affairs, Government of NCT of Delhi;
- (iii) Commissioner, State Tax, Govt. of NCT of Delhi;

- (iv) Special/Additional Commissioner(Policy), Department of Trade and Taxes, GNCTD;
(v) Deputy Controller of Account, Department of Trade and Taxes, GNCTD. Member Secretary;

No. F.3(25)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/ *25/128*

Dated- *03/02/25*

Copy to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
3. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
5. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Website.
11. Guard File.


(Ravinder Kumar)
Joint Secretary (Fin.)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फा0सं0 3(25)/वित्त (व्यय-1)/2024-25/डीएस-1/57441/128

दिनांक : 03/02/25


आदेश

विषय : दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 97 के उप-नियम (4) के अंतर्गत उपभोक्ता कल्याण निधि स्थायी समिति के गठन के संबंध।

दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 97 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा धन के उचित उपयोग के लिए अनुशंसा करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए उपभोक्ता कल्याण निधि स्थायी समिति का गठन करते हैं :

- (i) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार;
- (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव-सह-आयुक्त, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार;
- (iii) आयुक्त, राज्य कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार;
- (iv) विशेष/अपर आयुक्त (नीति), व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार;
- (v) उप लेखा नियंत्रक, व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सदस्य सचिव।

उक्त समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उपरोक्त क्रम संख्या (i), (ii) एवं (iii) में उल्लिखित किसी भी अधिकारी में से अपनी संबंधित वरिष्ठता के अनुसार होंगे।


(रविंदर कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)

सेवा में,

- (i) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार;
- (ii) सचिव-सह-आयुक्त, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार;
- (iii) आयुक्त, राज्य कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार;
- (iv) विशेष/अपर आयुक्त (नीति), व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार;
- (v) उप लेखा नियंत्रक, व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सदस्य सचिव:

फा0सं0 3(25)/वित्त (व्यय-1)/2024-25/डीएस-1/57441/128

दिनांक : 03/02/25

प्रतिलिपि निम्न को :-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राज निवास, दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।

4. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली
5. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
6. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
7. संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. वेबसाइट
11. गार्ड फाइल



(रविंदर कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)

